NOC

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
सप्तम मण्डल गोरखपुर।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2, समुदाय केन्द्र प्रीति विहार,
नई दिल्ली पिन कोड–110092

पत्रांकः एन0ओ0सी0/ /2022–23 दिनांक 9/6/2022

विषयः– एक्सीलेन्स एकेडमी, बरगदही केवटान, मेडिकल रोड, जिला–गोरखपुर को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भ में अवगत कराना है कि माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र राज्य सरकार के स्थान पर सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त की अध्यक्षता मे गठित समिति द्वारा दिये जाने के निर्देश है। सी0बी0एस0ई0बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्वता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में निर्गत नवीन बाइलाज दिनांक 18 अक्टूबर 2018 में दिए गए गाइडलाइन के अनुसार विद्यालय की भूमि, भवन व अन्य मानक पूर्ण होने के कारण मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 28–04–2022 में लिये गये निर्णय के अनुसार एक्सीलेन्स एकेडमी, बरगदही केवटान, मेडिकल रोड, जिला–गोरखपुर को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने मे इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धो के अधीन आपत्ति नही है–

1. विद्यालय के पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चो के लिए सुरक्षित रहेगें, और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों मे विभिन्न कक्षाओ के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नही की जायेगी, और यदि पूर्व मे विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है, तथा विद्यालय की सम्बद्वता सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से प्राप्त होती है, जो उस परीक्षा परिषद से सम्बद्वता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
5. संस्था के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियो को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगें।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।
7. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी।